न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 176 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरियें तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1.थानाराम गोदपुत्र मोड़ाराम 2.खंगारराम पुत्र गोपाराम कौम राईका निवासी बालोतरा 3.भीमाराम पुत्र मांगीलाल कौम कुम्हार निवासी सालावास लूणी जिला जोधपुर 4.गुल्तानमल पुत्र पुनमाराम जाति माली निवासी बालोतरा 5.कुसुमदेवी पत्नि जगतसिंह कौम ओसवाल निवासी बालोतरा 6.वालाराम पुत्र दिलीपकुमार कौम कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा 7.छगनदान पुत्र हेमदान चारण निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा 8.दिनेश पुत्र धानाराम कौम कुम्हार निवासी जसोल तहसील पचपदरा 9.उस्मान गनी पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिथति :—

1. राज.पैरोकार प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3,4 व 6 एवं 8 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 1,2 व 5,7 एवं 9 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक— 14/7/2023

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

1. संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 27 रकबा 5–18 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 1 से 09 की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त भूमि में से 35231 वर्गफीट भूमि पर बिना विधि विहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवाये विप्रार्थीगण ने अवैध रूप से कपड़ा फैक्टियों का निर्माण कर लिया और वर्तमान में उनके द्वारा फैक्टियों का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि का अकृषि उपयोग लेकर विप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः प्रार्थी ने ग्राम जैरला की संख्या 27 रकबा 5–18 बीघा भूमि में से 35231 वर्गफीट भूमि से विप्रार्थी की खातेदारी समाप्त कर उक्त भूमि राजकीय खातें में दर्ज करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।
2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 03,4 व 6 एवं 8 की ओर से वकालतनामा पेश किया और प्रार्थी के आवेदन तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया गया। शेष विप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। राज.पैरोकार ने आवेदन के तथ्यों को दोहरते हुए बहस में तर्क दिए कि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 27 रकबा 5–18 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 1 से 09 की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त भूमि में से 35231 वर्गफीट भूमि पर बिना विधि विहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवाये विप्रार्थीगण ने अवैध रूप से कपड़ा फैक्टियों का निर्माण कर लिया और वर्तमान में उनके द्वारा फैक्टियों का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि का अकृषि उपयोग लेकर विप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंधन किया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन करवाये अकृषि कार्य में उपयोग लिया जाता है,तो अकृषि कार्य में उपयोग ली जानी वाली भूमि खालसा सरकार होकर राज.सरकार के खाते में इन्द्राज करने का प्रावधान है और वादग्रस्त भूमि का भी विप्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य में उपयोग लिए जाने के कारण राज.सरकार खालसा घोषित की जावें।
4. इसके विपरीत वकील विप्रार्थी की बहस है,कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो खारिज योग्य है। क्योंकि विप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है,न ही मौके पर प्रश्नगत भूमि पर विप्रार्थीगण द्वारा अवैध कपड़ा फैक्टी का संचालन ही किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि विप्रार्थी के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की भूमि है। जिसमें विप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। विप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की किसी प्रकार से अवहेलना नहीं की है और न ही विप्रार्थी ने किसी प्रकार का अकृषि कार्य

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

ही किया है,अलावा इसके वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत तहसीलदार पचपदरा के आदेश कमांक राजरव/2021/1732 दिनांक 14.09.2021 की पालना में राजस्व टीम द्वारा बनाई हुई सर्वेयर रिपोर्ट की सुची में विप्रार्थीगण का नाम ही नहीं है,जिससे स्पष्ट है,कि मौके पर विप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। विप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरित किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि में 35231 वर्गफीट भूमि पर अकृषि कार्य किये जाने के तथ्य गलत होने से अस्वीकार है,अलावा इसके सर्वेयर टीम द्वारा बनाई हुई सर्वेयर रिपोर्ट में भी विप्रार्थीगण का नाम नहीं है,जिससे प्रार्थीगण के उक्त कथन अपने आप में ही गलत साबित है,इसके अतिरिक्त विप्रार्थी संख्या 07 छगनदान द्वारा नियमानुसार नगरपरिषद बालोतरा द्वारा पत्रावली प्रस्तुत की जिस पर नगर परिषद बालोतरा द्वारा पत्रावली कायम की एवं सम्परिवर्तन राशि रूपये 10,694/—अक्षरे दस हजार छः सौ चोरानवे मात्र नगर परिषद बालोतरा में जमा किये तथा नगर परिषद बालोतरा द्वारा कंमाक भूमि / नपबा/2021/668 दिनांक 29.09.2021 के जरीये प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 'क' के तहत गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई है। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि पर खरीदरार अल्लादीन पुत्र मोलाबक्स छीपा द्वारा नियमानुसार नगर परिषद में अपने खरीदसुदा हिस्से की भूमि का 90 ए के तहत संपरिवर्तन कराने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की, जिस पर नगरपरिषद बालोतरा द्वारा पत्रावली कायम की एवं सम्परिवर्तन राशि रूपये 13,660/—अक्षरे तेरह हजार छः सौ साठ मात्र नगरपरिषद बालोतरा में जमा किये, तथा नगरपरिषद बालोतरा द्वारा कमांक भूमि/नपबा/2021 दिनांक 10.11.2021 के जरीये प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की प्रकिया की हुई है। जिसको जानबुझकर प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया हैं,जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर तर्क दिये कि विवादित भूमि पर खरीददार गणपतलाल पुत्र उमाराम जाति माली निवासी बालोतरा द्वारा नियमानुसार नगर परिषद में अपने खरीदसुदा हिस्से की भूमि का 90 ए के तहत संपरिवर्तन कराने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की,जिस पर नगरपरिषद बालोतरा द्वारा पत्रावली कायम की एवं संम्परिवर्तन राशि रूपये 13,570/—नगरपरिषद बालोतरा में जमा कियें तथा नगरपरिषद बालोतरा द्वारा कंमाक भूमि/नपबा/2021 दिनांक 10.11.2021 के जरीये प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 'क' के तहत गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की प्रक्रिया की हुई है,जिसको जानबुझकर प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है,जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किए जाने योग्य है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रकरण निरर्थक तथ्यो व

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दस्तावेजी साक्ष्य एवं सर्वेयर रिर्पोट के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। कि विप्रार्थीगण द्वारा मौके पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है,अलावा इसके विप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाकर अपनी भूमि का संपरिवर्तन करवाया जा चुका है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत सर्वेयर रिपोर्ट सूची में भी विप्रार्थीगण का नाम नहीं है,और न ही काबिज व्यक्तियों को पक्षकार ही बनाया है,ऐसी ही स्थिति में प्रश्नगत भूमि का 35231 वर्गफीट भाग राज्य सरकार के खाते में घोषित करना विधि विरूद्ध होगा,तथा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरित होगा। प्रश्नगत भूमि विप्रार्थीगण के मालिकाना स्वामित्व की भूमि है,जिससे विप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त करने से विप्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी। जिसकां मुल्यांकन मुद्रा या अर्थ मे करना सम्भव नहीं होगा। विप्रार्थीगण द्वारा मौके पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है न ही प्रार्थी द्वारा प्रभावित व काबिज व्यक्तियों को पक्षकार ही बनाया गया है अलावा इसके विप्रार्थी द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाकर भूमि का संपरिवर्तन करने की प्रक्रिया भी की हुई है तथा वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत सर्वेयर रिपोर्ट सूची में विप्रार्थीगण का नाम नहीं है और न ही प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार ही बनाया गया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

5. हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से वादग्रस्त भूमि मौजा मेवा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 27 रकबा 5—18 बीधा में से 35231 वर्गफीट को पर बिना विधि विहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवायें विप्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य किए जाने के कारण उक्त विवादित भूमि खालसा सरकार धोषित करवानें हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 06.6.2022 को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खालसा सरकार धोषित की गई। उक्त आदेश की जानकारी होने पर विप्रार्थी संख्या 03,4 व 6 एवं 8 की ओर से माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपील पेश की गई। जो अपील संख्या 146/2022 पर दर्ज होकर निर्णय दिनांक 12.10.2022 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.6.2022 को अपास्त कर प्रकरण में अपीलाण्टस/विप्रार्थी को सुनवाई,साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किए गए। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान किए और विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन को अस्वीकार करते हुए

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

विस्तृत जवाब पेश किया तथा दस्तावेजात पेश किए गए। प्रार्थी की ओर से अपने आवेदन पत्र में मुख्य इस्तदुआ चाही गई,कि विप्रार्थी संख्या 01 से 09 द्वारा विवादित भूमि ग्राम जेरला की खसरा संख्या 27 रकबा 5-18 बीघा में से 35231 वर्गफीट भूमि पर बिना विधि विहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवायें विप्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य किए जाने के कारण उक्त विवादित भूमि खालसा सरकार घोषित की जावें। आवेदन पत्र के संलग्न सर्वेयर रिपोर्ट हल्का पटवारी सामरीन व भू.अ.निरीक्षक बालोतरा की रिपोर्ट अनुसार क्र.सं.03 से 06 छगनदान,फारू खां,अल्लादीन व गणपतलाल पुत्र उमाराम माली द्वारा कृषि भूमि का अकृषि कार्य किया जाना बताया है। जबकि प्रार्थी की ओर से आवेदन में अकृषि कार्य करने वाले में से केवलमात्र छगनदान को ही पक्षकार बनाया गया है। शेष व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। जबकि विप्रार्थी छगनदान के अलावा शेष खातेदारान को पक्षकार किस आधार पर बनाया गया,इसका आवेदन में कहीं पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और न ही बहस में ऐसा कोई कारण बताया गया कि विप्रार्थी छगनदान को छोड़कर शेष विप्रार्थी को इस कारण पक्षकार बनाया गया है। जबकि उक्त विप्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य किया जानें का रेकर्ड पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है। क्योंकि जिन विप्रार्थी को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है,उन द्वारा अकृषि कार्य किए जाने का कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर रखे है। केवलमात्र आवेदन पत्र में उन द्वारा अकृषि कार्य करने का उल्लेख करते हुए प्रकरण तैयार कर पेश किया गया है। मौखिक कथनों के आधार पर प्रकरण चल नहीं सकता है। प्रकरण को साबित करवानें के लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश करने होते है,जो प्रार्थी ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है। जबकि सर्वेयर रिपोर्ट में अंकित गणपतलाल पुत्र उमाराम माली व छगनदान पुत्र हेमदान कौम चारण एंव अल्लादीन पुत्र मैलाबक्स द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि को गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए 90 ए के अधीन करवानें के लिए नगरपरिषद बालोतरा में पत्रावली पेश कर नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार प्रक्रिया की गई है,जो जवाब के साथ पेश दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन सारभूत तथ्यों के आधार पर पेश नहीं किया गया है,प्रार्थना पत्र के संलग्न सर्वेयर रिपोर्ट व आवेदन पत्र में उल्लेखित कथनों में भारी विरोधाभास है। प्रार्थी की ओर से ऐसी कोई दस्तोवजी साक्ष्य सबूत अर्थात मौका जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई है,जिसमें स्पष्ट हो कि विप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि पर बिना विधि विहित प्रावधानों के संम्परिवर्तन करवायें बिना अकृषि कार्य किया गया है। जबकि प्रार्थी की ओर से अपने आवेदन में जिनको विप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है,उनका सर्वेयर रिपोर्ट में अकृषि कार्य करने का नाम अंकन ही नहीं है। केवलमात्र मौखिक कथन किए गए है और मौखिक कथनों के आधार पर राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके लिए

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दस्तावेजी साक्ष्य सबूत होना आवश्यक होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 14.7.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा